छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
शंकर नगर, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 71/2006</u>

श्री भावीन जैन .... अपीलार्थी
डी–6, आम्रपाली सहकारी गृह
निर्माण संस्था, पचपेड़ी नाका,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी, ... प्रतिअपीलार्थी
छ.ग. शासन
कार्यालय, पंजीयक सहकारी संस्थाएं
रायपुर (छत्तीसगढ़)

:: आदेश ::
(05 सितम्बर 2006)

श्री भावीन जैन, निवासी रायपुर के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 19 (3) के अंतर्गत आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की।

अपीलार्थी ने अपने अपीलीय आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है कि उसने सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6 (1) के अंतर्गत दिनांक 16.11.05 को कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय पंजीयक सहकारी संस्थाएं को आवेदन पत्र दिया था। अपीलार्थी ने अपने आवेदन में उल्लेख किया था कि क्या किसी संस्था या व्यक्ति के द्वारा की गई अनियमितता की जांच करने के लिए कोई समयावधि निर्धारित है या नहीं। क्या किसी उच्चाधिकारी की जांच उसके मातहत कर्मचारी के द्वारा की जा सकती है। क्या विधानसभा के द्वारा यदि किसी अनियमितता की जांच के लिए कोई कमिटी बनाई गई है तो क्या विभागीय अधिकारी के द्वारा भी जांच की जा सकती है आदि। निर्धारित अवधि में जानकारी प्राप्त न होने के फलस्वरूप अपीलार्थी ने अपील अधिकारी पंजीयक सहकारी संस्थाऐं के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की। अपील की सुनवाई के समय जन सूचना अधिकारी के द्वारा दिनांक 30.12.05 को कुछ अभिलेखों को अपीलार्थी को प्रदान किया गया तथा अपीलीय अधिकारी को बतलाया गया कि सूचनाऐं भेजी जा चुकी हैं। अपील अधिकारी के द्वारा कोई आदेश पारित न करने के फलस्वरूप यह द्वितीय अपील आयोग के समक्ष अपीलार्थी ने प्रस्तुत की।

आयोग के द्वारा प्रतिअपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया। प्रतिअपीलार्थी की ओर से जन सूचना अधिकारी श्रीमति सावित्री भगत उपस्थित हुईं। दिनांक 28.06.06 को आयोग के द्वारा निर्देश दिये गये कि जो जानकारी अपूर्ण हैं वो अपीलार्थी को 15 दिन के अंदर निःशुल्क प्रदान की जावे। दिनांक 02.08.06 को अपीलार्थी ने पुनः अवगत कराया कि उसे जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। दिनांक 25.08.06 को दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुना गया। जन सूचना अधिकारी, पंजीयक सहकारी संस्थाऐं के द्वारा बतलाया गया कि कार्यालय में उपलब्ध अपीलार्थी के द्वारा वांछित जानकारी दी जा

चुकी है। प्रथम बिन्दु के संबंध में छ.ग. शासन के परिपत्र दिनांक 26.2.05 की प्रति दी गई। द्वितीय बिन्दु के संबंध में म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र दिनांक 02.03.098 की प्रति दी गई। तृतीय बिन्दु के संबंध में अपीलार्थी को विधान सभा सचिवालय से संबंधित जानकारी होने से वहां से लेने के संबंध में सूचित किया गया। चतुर्थ बिन्दु के संबंध में बतलाया गया कि संबंधित पक्ष को अवसर दिये बिना जांच की कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए।

अपीलार्थी का तर्क यह है कि उसे पूर्ण जानकारी नहीं दी गई तथा आयोग के निर्देशों का पालन नहीं किया गया। अपीलार्थी के आवेदन पत्र से स्पष्ट होता है कि उसके द्वारा सामान्य प्रकार की जानकारी चाही गई है। विभाग के द्वारा शिकायत के स्परूप को देखते हुए जांच के लिए समयावधि निर्धारित की जाती है। सामान्य रूप से ऐसी कोई समयावधि निर्धारित नहीं की जा सकती जो सभी प्रकार की जांच के लिए प्रभावशील हो। फिर भी विभाग के द्वारा जन शिकायत प्रकोष्ठ से प्राप्त शिकायत के संबंध में जारी किए गए परिपत्र की प्रति अपीलार्थी को दे दी गई। बिन्दु क्रमांक 2 की जानकारी भी अपीलार्थी को दे दी गई है। बिन्दु क्रं. 3 में अपीलार्थी के द्वारा विधानसभा सचिवालय के दिशा निर्देश चाहे गये हैं वह जानकारी विधानसभा सचिवालय से ही प्राप्त हो सकती है। अपीलार्थी को यह सूचित कर दिया गया है। बिन्दु क्र. 4 में अपीलार्थी के द्वारा पूछा गया था कि क्या किसी संस्था में घटित अनियमितता की जांच में जांच अधिकारी के द्वारा शिकायतकर्ता को पक्ष रखने का अवसर दिये बिना जांच प्रतिवेदन दिया जा सकता है। इस संबंध में अपीलार्थी को सूचित कर दिया गया है कि शिकायतकर्ता या संबंधित पक्षकार को अवसर दिये बिना की गई जांच उचित नहीं है।

सूचना अधिकारी के द्वारा अपने लिखित जवाब में बतलाया गया कि अपीलार्थी ने दिनांक 16.11.05 को आवेदन पत्र दिया। सूचना अधिकारी के द्वारा 17.11.05 को ही स्थापना कक्ष से जानकारी चाही गई। जानकारी विलम्ब से प्राप्त होने के कारण अपीलार्थी को पत्र दिनांक 30.12.05 से निःशुल्क जानकारी प्रदान की गई। चूंकि अपीलार्थी के द्वारा मांगी गई जानकारी अनेक तथ्यों से तथा विभागों से संबंधित थी अतः जानकारी दिये जाने में विलंब हुआ। अपीलार्थी के द्वारा चाही गई समस्त जानकारी अपीलार्थी को प्रदान की जा चुकी है। सूचना अधिकारी के द्वारा बहस तर्क में यह बतलाया गया कि अपीलार्थी के द्वारा अस्पष्ट जानकारी मांगी जाती है किसी बिन्दु विशेष की कोई जानकारी नहीं चाही गई। फिर भी अपीलार्थी को कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख के अनुसार जानकारियां प्रदान कर दी गई।

अपीलार्थी को इस प्रकार पूर्ण जानकारी मिल गई है। अपीलार्थी का आवेदन पत्र स्वयं अस्पष्ट है। उसके द्वारा शासन की किसी परिपत्र की प्रति स्पष्ट रूप से नहीं चाही गई, न ही कोई विशेष समयावधि से संबंधित जानकारी चाही गई। अपीलार्थी का यह आरोप भी सही नहीं है कि सूचना अधिकारी के द्वारा आयोग के निर्देश का पालन नहीं किया गया। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि सूचना अधिकारी के द्वारा द्ववेषवश अथवा जानबुझकर विलम्ब से जानकारी देने का कोई प्रमाण नहीं है अतः सूचना अधिकारी पर अर्थदण्ड दिये जाने का औचित्य नहीं है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विचार करने के पश्चात आयोग के द्वारा अपीलार्थी की उक्त अपील अस्वीकार की जाती है ।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त